

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/पौष 5, 1935

No. 330]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 दिसम्बर, 2013

रायपुर में बोर्ड के स्थानीय कार्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2013-14/32/33644.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने अहमदाबाद में स्थित अपने पश्चिमी प्रादेशिक कार्यालय-II के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रायपुर में अपना स्थानीय कार्यालय स्थापित कर लिया है। इस प्रकार स्थापित स्थानीय कार्यालय विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण के विनियामक पहलू, विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतें दूर किये जाने को सुकर बनाना, वित्तीय तथा विनिधानकर्ता (निवेशक) शिक्षण और ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर नियत किये जाएं देखेगा, और इसकी भूमिका तथा जिम्मेदारी का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों तक होगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन-III/4/असा./69 जैडबी/13]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th December, 2013

Notification regarding establishment of Local Office of the Board at Raipur

No. LAD-NRO/GN/2013-14/32/33644.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board has established its Local Office at Raipur under the administrative control of its Western Regional Office-II at Ahmedabad. The Local Office so established shall look after the regulatory aspects of investor protection, facilitating redressal of investor grievances, financial and investor education and such other functions as may be assigned from time to time, and its role and responsibility shall extend to the areas falling under the territorial jurisdiction of the State of Chhattisgarh.

U. K. SINHA, Chairman
[No. Advt. III/4/Exty./69 ZB/13]

अधिसूचना

मुम्बई, 26 दिसम्बर, 2013

पणजी में बोर्ड के स्थानीय कार्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2013-14/33/33661.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने अहमदाबाद में स्थित अपने पश्चिमी प्रादेशिक कार्यालय-II के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पणजी में अपना स्थानीय कार्यालय स्थापित कर लिया है। इस प्रकार स्थापित स्थानीय कार्यालय विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण के विनियामक पहलू, विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतें दूर किये जाने को सुकर बनाना, वित्तीय तथा विनिधानकर्ता (निवेशक) शिक्षण और ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर नियत किये जाएं देखेगा, और इसकी भूमिका तथा जिम्मेदारी का विस्तार गोवा राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों तक होगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष
[सं. विज्ञापन-III/4/असा./69 जैडबी/13]

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th December, 2013

Notification regarding establishment of Local Office of the Board at Panaji

No. LAD-NRO/GN/2013-14/33/33661.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board has established its Local Office at Panaji under the administrative control of its Western Regional Office-II at Ahmedabad. The Local Office so established shall look after the regulatory aspects of investor protection, facilitating redressal of investor grievances, financial and investor education and such other functions as may be assigned from time to time, and its role and responsibility shall extend to the areas falling under the territorial jurisdiction of the State of Goa.

U. K. SINHA, Chairman
[No. Advt. III/4/Exty./69 ZB/13]